

44. उपपंजीयक निवाई
45. तहसीलदार निवाई
46. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा निवाई जिला टोंक।
47. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा वनस्थली तहसील निवाई जिला टोंक
48. शाखा प्रबन्धक इण्डियन ऑवरसीज बैंक शाखा निवाई जिला टोंक
49. शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक शाखा निवाई जिला टोंक
50. शाखा प्रबन्धक यश बैंक शाखा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक

— प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री नरेन्द्र कुमार जाट—अभिभाषक, वादीगण
श्री रामावतार शर्मा अभिभाषक प्रतिवादी सं० 1, 2 व 43

निर्णय

दावा :-बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक... 18/8/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद पत्र आराजी खसरा नंबर 387 रकबा 17 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम पलेई निवाई तहसील निवाई जिला टोंक बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण को दिनांक 06.05.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार निवाई से कुर्रैजात रिपोर्ट (पी0डी0) चाही गई जिसकी पालना में तहसीलदार निवाई द्वारा पी0डी0 रिपोर्ट प्रस्तुत की।

प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार निवाई ने पत्रांक 13468 दिनांक 17.07.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल है।

तहसीलदार निवाई द्वारा कुर्रैजात रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसका अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अधिवक्ता वादी एवं अधिवक्ता प्रतिवादी ने पत्रावली की ऑर्डरशीट पर हस्ताक्षर करते हुये निवेदन किया की प्रकरण के संबंध में तहसीलदार निवाई से प्राप्त तकासमा/कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार वाद वर्णित भूमि का तकासमा फरमा दिया जावे। जिससे यह साबित है कि प्रकरण में वादग्रस्त आराजियात का अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट तकासमा करवाना चाहते हैं तथा न्याय का सर्वोमान्य सिद्धांत है कि पक्षकारों की सहमति के आधार पर किसी भी वाद का अंतिम निर्णय किया जाना न्याय संगत है। अतः न्यायहित में उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद तकासमा की हद तक अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद तहसीलदार निवाई से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट के आधार पर तकासमा की हद तक स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है हाल खसरा नंबर 387 रकबा 17 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम पलेई तहसील निवाई जिला टोंक का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

ग्राम-पलेई, पटवार मण्डल-पलेई तहसील निवाई, जिला टोंक

जमाबंदी संवत 2072-2075,		खसरा नं०-387 (रकबा 4.50 हैक्टेयर)	
क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा है० में
1	रविप्रकाश पुत्र रामेश्वर प्रसाद हिस्सा पूर्ण जाति पारीक सा० निवाई	387/1	0.3165
	योग	किता-1	0.3165
2	1. अम्बालाल पुत्र काना हि० 804/41856 2. कजोडमल पुत्र राधाकिशन हि० 1407/41856 3. खेमराज पुत्र रेवता हि० 527/41856 4. गिर्राज पुत्र राधाकिशन हि० 2814/41856 5. गीता पुत्री राधाकिशन हि० 1407/41856 6. जयकिशन पुत्र हजारी हि० 482/41856 7. तीजा पुत्री राधाकिशन हि० 1407/41856 8. देवनारायण पुत्र मांगीलाल हि० 937/41856 9. देवलाल पुत्र केसरा हि० 176/41856 10. देवालाल पुत्र काना हि० 804/41856 11. नाथी पत्नी सूरजमल हि० 1055/41856 12. प्रहलाद पुत्र हजारी हि० 1688/41856 13. फोरन्ता पुत्री सोनारायण हि० 141/41856		

उपस्थित अभिभाषक
निवाई (क)

14. नबा0 बसराम पुत्र राजाराम सरपरस्त माता ममता हि0 724/41856		
15. भूरी देवी पत्नी काना हि0 804/41856		
16. भंवरलाल पुत्र केसरा हि0 176/41856		
17. भंवरलाल पुत्र जयनारायण हि0 2110/41856		
18. मुकुल पुत्र काना हि0 804/41856		
19. मुकेश पुत्र काना हि0 804/41856		
20. मथुरा पत्नी रामकरण हि0 402/41856		
21. मनफूल पुत्र हजारी हि0 1688/41856		
22. ममता पत्नी राजाराम हि0 241/41856		
23. ममता पुत्री काना हि0 804/41856		
24. माया पुत्री राजाराम हि0 241/41856		
25. मोहन पुत्र रेवता हि0 527/41856	387/2	4.1856
26. राजूलाल पुत्र केसरा हि0 176/41856		
27. रामजीलाल पुत्र सोनारायण हि0 497/41856		
28. रामप्यारी पत्नी केसरा हि0 176/41856		
29. रामप्रसाद पुत्र श्योनारायण हि0 492/41856		
30. रामसहाय पुत्र जयनारायण हि0 2110/41856		
31. रोशन पुत्री राजाराम हि0 241/41856		
32. लक्ष्मण पुत्र मांगीलाल हि0 937/41856		
33. लेखराज पुत्र रामकरण हि0 644/41856		
34. लादू पुत्र रामनाथ हि0 4221/41856		
35. नाबा0 विशाल पुत्र जयकिशन सरपरस्त माता लादी हि0 1206/41856		
36. विशाल पुत्र राजाराम हि0 241/41856		
37. शंकर पुत्र रामकरण हि0 643/41856		
38. शिवदयाल पुत्र राधाकिशन हि0 2814/41856		
39. शोजी पुत्र भोज्या हि0 1055/41856		
40. संतोष पुत्री सोनारायण हि0 141/41856		
41. सुनिता पुत्री सोनारायण हि0 141/41856		
42. सीता देवी पुत्री काना हि0 804/41856		
43. हनुमान पुत्र भागुता हि0 527/41856		
44. हेमराज पुत्र केसरा हि0 176/41856		
45. हरिनारायण पुत्र केसरा हि0 176/41856		
46. हरिनारायण पुत्र मांगीलाल हि0 937/41856		
47. हंसा पुत्र भागुता हि0 527/41856		
योग	किता-1	4.1856

आज दिनांक 18/8/25 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रामकरण सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई
निवाई (टीक)

44. उपपंजीयक निवाई
45. तहसीलदार निवाई
46. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा निवाई जिला टोंक।
47. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा बनस्थली तहसील निवाई जिला टोंक
48. शाखा प्रबन्धक इण्डियन ऑवरसीज बैंक शाखा निवाई जिला टोंक
49. शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक शाखा निवाई जिला टोंक
50. शाखा प्रबन्धक यश बैंक शाखा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक

- प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री नरेन्द्र कुमार जाट-अभिभाषक, वादीगण
श्री रामावतार शर्मा अभिभाषक प्रतिवादी सं० 1, 2 व 43

**दावा :-बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अंतिम पर्चा डिकी**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, निवाई व हाजरी वकील वादीगण मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है। वादी का वाद तहसीलदार निवाई से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट के आधार पर तकासमा की हद तक स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिकी किया जाता है हाल खसरा नंबर 387 रकबा 17 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम पलेई तहसील निवाई जिला टोंक का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य तहसीलदार निवाई से प्राप्त पीडी रिपोर्ट अनुसार किया जाता है।

(रामकरण सिंह)

उपखण्ड अधिकारी, निवाई

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहन	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

आज दिनांक 18/8/25 को ये अंतिम डिक्री पर्चा मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(रामकरण सिंह)

उपखण्ड अधिकारी, निवाई
निवाई (टोंक)